

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सवा

विपक्षी : श्रीमती प्यारी

किस्म मुकदमा – 53 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 123/12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 28.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बताया कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य राजस्व लोक अदालत कैम्प चन्देसरा में दिनांक 15.07.2016 को आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1887 दिनांक 31.05.2017 को स्वीकृत हो चुका हैं। अतः पक्षकारान के मध्य बंटवाडा हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

